



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2017/श्रावण 30, 1939

No. 218]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2017/ SRAVANA 30, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

विषय: दुकानदारों के लिए भीम एप्प, (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना

फा. सं. 12(84)/2017-डीपीडी 1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

1.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिकों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रशासन और डिजिटल सेवा उपलब्ध करा कर भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक सहज विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेनों को औपचारिक बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता मौजूद है।

1.2 वित्तीय समावेशन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है डिजिटल भुगतान प्रणालियां ई-कॉमर्स से औपचारिक वित्तीय सेवाओं और लाभों तक पहुंच का वादा करती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगातार बाहर रखा जाना जारी है। बैंक-आधारित भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी, बुनियादी भुगतान सेवाओं की उपलब्धता में काफी अंतर बना हुआ है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।

1.3 वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2017 को अपने बजट भाषण में "यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य" घोषित किया था।

1.4. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में, खास तौर से भारत जैसे देश में दुकानदार एक बहुत खास भूमिका निभाते हैं जहां छोटे किराना स्टोर, स्थानीय कपड़ों की दुकानें, मॉम-एन-पॉप स्टोर और अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले लगभग 90% व्यापारी असंगठित हैं। इनके अलावा, दैनिक छोटे व्यापारी जैसे स्थानीय वेन्डर्स ऑटो/टैक्सी चालक इत्यादि, असंगठित

व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा हैं। दुकानदारों के बीच भीम एप्प को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक योजना का शुभारंभ किया जा रहा है।

1.5 योजना का उद्देश्य दुकानदारों द्वारा भीम एप्प को न केवल एक बार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, बल्कि उन्हें भीम एप्प (या तो क्यूआर कोड अथवा वीपीए या मोबाइल नम्बर या “पे टू आधार”) के जरिए लेनदेनों को प्रोत्साहित करना भी है।

अतः योजना का उद्देश्य दोहरा है अर्थात् :

- भीम एप्प पर पंजीकृत दुकानदारों की संख्या में वृद्धि।
- भीम एप्प का इस्तेमाल करते हुए दुकानदारों से भुगतान संबंधी लेनदेनों की संख्या में वृद्धि।

2. दुकानदारों के लिए भीम एप्प कैशबैक योजना

2.1 इस योजना का कार्यक्षेत्र भीम एप्प का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए ही सीमित होगा जब तक कि अन्यथा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। योजना अवधि इसके शुभारंभ की तारीख से 6 महिनों के लिए निर्धारित की गई है, जिसकी सरकारी निर्देशों के आधार पर पुनः समीक्षा की जा सकती है।

2.2 एनपीसीआई द्वारा भीम एप्प प्लैटफॉर्म के स्वीकृत होने के समय से ही एनपीसीआई ने कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाई है और एनपीसीआई द्वारा ही इसे संचालित किया गया है। पात्रता की पहचान और कैशबैक की गणना करने के लिए एनपीसीआई अपने लेनदेन डाटा का उपयोग करता है।

2.3 दुकानदारों के लिए कैशबैक प्रोत्साहन स्लैब निम्नानुसार हैं :-

| क्रेडिट किए गए लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह) | दुकानदारों के लिए कैशबैक (प्रतिमाह के अंत में) | शर्तें |
|---|---|--|
| 50-100 | 100 रुपए | कम से कम 20 विशिष्ट ग्राहकों से, 25 रुपए प्रति का न्यूनतम लेनदेन |
| > 100 | 50 पैसे प्रति लेनदेन अधिकतम 200 रुपए तक | |

इस प्रकार दुकानदारों के लिए कैशबैक प्रतिमाह 100 रुपए से 300 रुपए तक निर्धारित किया जाएगा और 1800 रुपए तक का अधिकतम कैशबैक जो एक दुकानदार 6 महिनों में कमा सकेगा।

2.4 योजना डिज़ाइन में निकायों के लिए विभिन्न परिभाषाओं को अनुबंध 1 में संलग्न किया गया है।

3. दुकानदारों के लिए पात्रता मानदंड

3.1 कैशबैक पाने योग्य दुकानदारों के लिए परिभाषित लेनदेन मानदंड

क. न्यूनतम 50 क्रेडिट वित्तीय लेनदेन जिसमें से कम से कम 20 लेनदेन वैद्य यूपीआई विशिष्ट ग्राहकों से हैं में भीम एप्प उपयोगकर्ताओं के लेनदेन भी शामिल हैं।

ख. उपर्युक्त सभी लेनदेनों के लिए न्यूनतम लेनदेन राशि 25 रुपए होनी चाहिए।

3.2 अन्य मानदंड

(i) दुकानदार भीम एप्प उपभोक्ता होना चाहिए, तथापि वह (स्त्री/पुरुष) लेनदेन मानदंड पूरा करने के लिए किसी भी वैध यूपीआई ग्राहक से क्रेडिट प्राप्त कर सकता है।

- (ii) दुकानदार कैशबैक योजना एक मासिक कार्यक्रम है और योजना से संबंधित सभी क्रियाकलाप कैलेंडर महीनों के अनुसार किए जाते हैं।
- (iii) पात्र दुकानदारों के लिए कैशबैक प्रोत्साहन को उनके सम्बद्ध खातों में कैलेंडर के अगले माह के 10वें दिन या उससे पहले क्रेडिट किया जाएगा।
- (iv) दुकानदार, दुकानदार प्रोत्साहन योजना और रेफर और रेफरी के रूप में ग्राहक रेफरल योजना के भाग के रूप में कैशबैक या बोनस अर्जित कर सकता है (दुकानदार और रेफर के परस्पर व्यापन स्वीकार्य है)।
- कैशबैक प्राप्त करने की प्रक्रिया और एक व्यक्ति की दुकानदार के तौर पर पहचान करने के घोषणा तंत्र की प्रक्रिया का अनुबंध-2 में विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है।

राजीव बंसल, संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

दुकानदारों के लिए भीम एप्प कैशबैक योजना के लिए शब्दावली की परिभाषाएं

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रमुख शर्तों/निकायों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:-

- क. “वैध वित्तीय लेनदेन” : लेनदेन धनराशि ≥ 25 रुपए।
- ख. “वैध प्राप्तकर्ता” – भीम एप्प प्रयोक्ता/दुकानदार सहित कोई भी यूपीआई वैध प्रयोक्ता या दुकानदार हो सकता है।
- ग. “दुकानदार”: भीम एप्प उपभोक्ता होना चाहिए। भीम एप्प के लिए कैशबैक योजना के उद्देश्य से दुकानदारों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाएगा।
- कोई भी निकाय जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में संलग्न है। दुकानदार के पास एक विकल्प है कि वह अपने आप को भीम एप्प ऐप के अंतर्गत एक दुकानदार के रूप में घोषित करे।
 - प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अर्हता हेतु लेनदेन मानदंड यह है कि दुकानदार द्वारा एक माह में वैध यूपीआई विशिष्ट ग्राहकों से कम से कम 20 विशिष्ट लेनदेनों से न्यूनतम 50 क्रेडिट लेनदेन प्राप्त किए गए हों जिसमें भीम एप्प प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए लेनदेन भी शामिल हैं।
 - लेनदेन मानदंड के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए गणना की जाएगी।

अनुबंध-2

कैशबैक प्राप्त करने और दुकानदार द्वारा घोषणा करने की प्रक्रिया

- क. दुकानदार भीम एप्प और *99# को अपने फोन में डाउनलोड और इन्स्टॉल कर सकते हैं और भीम एप्प में “मैं दुकानदार हूँ” टैब पर क्लिक करके दुकानदार के रूप में अपनी घोषणा का एक विकल्प पाएंगे।
- ख. “मैं एक दुकानदार हूँ” टैब पर प्रयोक्ता द्वारा एक बार क्लिक करने पर उन्हें भीम एप्प में मांगा गया उचित विवरण अर्थात् व्यवसाय का नाम, सम्पर्क नम्बर (ऑटो पॉपुलेटेड) दुकानदार श्रेणी (ड्राप डाउन), दुकानदार का पता, शहर, पिन-कोड, खाते का प्रकार इत्यादि भरना होगा।
- ग. यह योजना ऐसे सभी दुकानदारों के लिए लागू है, जो भीम एप्प या *99 # पर भुगतान प्राप्त करते हैं।
- घ. यह योजना उन सभी दुकानदारों पर लागू है जो भीम एप्प या *99 # पर भुगतान प्राप्त करते हैं।
- ड. दुकानदारों को प्राप्त कैशबैक भीम एप्प के पुरस्कार सेक्शन में डिस्प्ले होगा। अपने ग्राहकों से भुगतान एकत्र करने के लिए (क्यू आर कोड, वीपीए, मोबाइल नम्बर, या आधार नम्बर) दुकानदार भीम एप्प पर उपलब्ध किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकता है। पुश और पुल दोनों प्रकार के भुगतान इन भुगतानों के लिए अर्हक होंगे।

- च. दुकानदारों के लिए यथापरिभाषित कैशबैक प्रोत्साहन स्लैब का लक्ष्य प्राप्त करने पर एनपीसीआई एनएसीएच प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कैशबैक प्रक्रिया प्रारंभ करता है और दुकानदार को भीम एप्प में नोटिफिकेशन के जरिए कैशबैक के विषय में सूचित किया जाता है।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

Subject: BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants

No. 12(84)/2017-DPD 1. Background and Objective

- 1.1 The Digital India Programme envisions transforming India into a Digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of a digital payments ecosystem is a natural extension of the Digital India programme and has the potential to transform India's economy by formalization of financial transactions.
- 1.2 Financial inclusion is one of the foremost challenges for India Digital payments promises access to formal financial services and benefits from e-commerce, especially for those who continue to be excluded. Despite significant progress in bank-led payment systems, there remained a vast gap in the availability of basic payment services. Adoption of technology can transform the country into a cashless economy.
- 1.3 Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced "a target of 2,500 crore digital transaction for 2017-18 through UPI, USSD, Aadhaar Pay, IMPS and debit cards."
- 1.4 In the digital payments ecosystem, merchants play a very crucial role especially in country like India where nearly 90% of merchants are unorganized like small grocery stores, local apparels outlets, mom-n-pop stores and more. Apart from these, the daily small time merchants like local vendors, auto/taxi drivers etc., constitute of large share of unorganized merchants. To promote BHIM amongst merchants the Merchant Cashback Scheme is being launched.
- 1.5 The scheme aims to incentivize not just one-time adoption of BHIM by merchants, but should also encourage transactions via BHIM mode (either QR code or VPA or Mobile number or "Pay to Aadhaar").

Hence, the objectives of the scheme are twofold, viz.:

- Increase in number of merchants registered on BHIM
- Increase in number of merchant payment transactions using BHIM

2. BHIM Cashback Scheme for Merchants

- 2.1 The scope of the scheme shall be limited to merchants using BHIM unless revised otherwise. The scheme duration is stipulated as 6 months from the launch date of the scheme, and can be renewed based on government directions.
- 2.2 National Payments Corporation of India (NPCI) takes the role of implementing agency since the BHIM platform is owned and operated by NPCI. NPCI uses its transaction data to identify the eligibility and compute the cashback.
- 2.3 The cashback incentive slabs for merchants are:

| <i>No. of credit transactions (per month)</i> | <i>Cashback to the merchant (at the end of the month)</i> | <i>Conditions</i> |
|---|---|--|
| 50-100 | Rs 100 | From at least 20 unique customers; Minimum transaction value of Rs. 25 each |
| > 100 | 50 paise per transaction maximum upto Rs. 200 | |

Thus the cashback to the merchant will range from Rs. 100 to Rs. 300 per month and the maximum cashback that a merchant can earn will be Rs. 1800 in 6 months.

2.4 The various definitions for the entities in the scheme design are appended in **Annexure-1**.

3. **Eligibility Criteria for Merchant**

3.1 Defined Transaction Criteria for Merchants to qualify for cashback are:

- a. Min of 50 credit financial transactions of which atleast 20 transactions is from valid UPI unique customers including that of BHIM users.
- b. The minimum transaction value for all above transactions should be Rs. 25/-.

3.2 Other Criteria:

- i. Merchant should be on BHIM user, however he/she can receive credit from any valid UPI customer to qualify the transaction criteria.
- ii. Merchant cashback scheme is a monthly program and calendar months are considered for the all the activities related to the scheme.
- iii. Cashback incentives to the eligible merchants will be credited to their linked accounts on or before 10th day of the subsequent calendar month.
- iv. Merchant can earn cashback or bonus as part of Merchant Incentive Scheme and Customer Referral Scheme as referrer or referee (the overlap of Merchant and Referrer is acceptable).

The process for availing cashback and declaration mechanism for a person to be identified as a merchant are detailed in **Annexure-2**.

RAJIV BANSAL, Jt. Secy.

Annexure-1

Definitions of terms for the BHIM Cashback scheme for Merchants

The definitions of key terms as specified in the notification are as below:

- a. “Valid financial transactions”: Transaction amount \geq Rs. 25
- b. “Valid receiver” – Can be any UPI valid user or a merchant including BHIM user/merchant
- c. “Merchant”: Has to be BHIM user. For the purposes of the Cashback Scheme for BHIM as merchant would be defined as:
 - Any entity which is engaged in trading of goods and services. The merchant has an option to declare himself into the BHIM app as a merchant.
 - The transaction criteria to qualify to receive incentive is the merchant should have received min of 50 credit transactions from atleast 20 unique transactions from valid UPI unique customers including that of BHIM users in a month
 - The computation for the incentives shall be done on the basis of the transaction criteria.

Annexure-2

Process for merchant declaration and availing cashback

- a. Merchant can download and install the BHIM App or *99# in his phone and will have an option to self-declare himself/herself as merchant by clicking on “I am a Merchant” tab in BHIM app.
- b. Once the user clicks on the “I AM A MERCHANT” tab, he/she has to fill in appropriate details asked by the BHIM App - business name, contact number (auto populated), merchant category (drop-down), merchant address, city, pin-code, account type, etc.
- c. The scheme applies to all merchants who receive payments on BHIM App or *99#.

- d. Reward section in BHIM app would display the cashback received to the merchant.
- e. Merchant can use any mode available on BHIM [QR Code, VPA, Mobile number, or Aadhaar number] to collect the payments from their customers. Both push and pull based payments shall qualify for these payments.
- f. On achieving the cashback incentive slab as defined for the merchants, NPCI initiates the cashback process using NACH platform and the merchant is notified of the cashback via notification in BHIM app.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

विषय: लोगों के लिए भीम एप्प (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल बोनस योजना

फा. सं. 12(84)/2017-डीपीडी 1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

1.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिकों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रशासन और डिजिटल सेवा उपलब्ध करा कर भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक सहज विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेनों को औपचारिक बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता मौजूद है।

1.2 वित्तीय समावेशन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है डिजिटल भुगतान प्रणालियां ई-कॉमर्स से औपचारिक वित्तीय सेवाओं और लाभों तक पहुंच का वादा करती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगातार बाहर रखा जाना जारी है। बैंक-आधारित भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी, बुनियादी भुगतान सेवाओं की उपलब्धता में काफी अंतर बना हुआ है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।

1.3 वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2017 को अपने बजट भाषण में "यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य" घोषित किया था।

1.4 डिजिटल भुगतानों के प्रचार-प्रसार और संवर्धन में, किसी नई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए रेफरल योजनाएं व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, जो मोबाइल एप्लिकेशन सहित बाजार में लॉन्च की जाती हैं और प्रभावी साबित हुई हैं। इसलिए, नागरिकों के बीच भीम एप्प को बढ़ावा देने के लिए एक रेफरल बोनस योजना शुरू की जा रही है।

1.5 इस योजना का उद्देश्य भीम एप्प प्लेटफॉर्म पर नए उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए भीम एप्प के किसी मौजूदा उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित करना और नए उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ता के साथ भीम एप्प का उपयोग करके लेनदेन करने या भीम एप्प पर नए उपयोगकर्ताओं को करके लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य दोहरा है, अर्थात:

- भीम एप्प के लिए डाउनलोड करने/इंस्टॉल करने और पंजीकरण करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि;
- भीम एप्प द्वारा लेनदेन की संख्या में वृद्धि

2. लोगों के लिए रेफरल बोनस योजना

2.1 इस स्कीम का दायरा केवल भीम एप्प उपयोगकर्ताओं के लिए है। अब तक, योजना की अवधि योजना की शुरुआत की तारीख से 6 महीने है और सरकार के निर्देशों के आधार पर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।

2.2 एनपीसीआई कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाता है क्योंकि भीम एप्प प्लेटफॉर्म एनपीसीआई के स्वामित्व में है और इसके द्वारा ही संचालित किया जाता है। एनपीसीआई पात्रता की पहचान करने और कैशबैक की गणना करने के लिए अपने लेनदेन डेटा का उपयोग करता है।

2.3 बोनस रेफरर और भीम एप्प के नए उपयोगकर्ता (रेफरी) दोनों को दिया जाएगा और रेफरल को रेफरी द्वारा निष्पादित केवल 3 सफल वित्तीय लेनदेन (किसी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता - "मान्य रिसीवर") के बाद ही सफल माना जाएगा।

2.4 रेफरल बोनस का भुगतान निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा :

| रेफरल बोनस कैशबैक राशि | प्रति भीम एप्प उपयोगकर्ता के लिए कुल राशि (रुपए में) |
|---|--|
| - नया भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरी) (प्रति व्यक्ति) | 25 |
| - रेफरर (प्रति व्यक्ति) | 10 |
| कुल रेफरल बोनस राशि | 35 |

2.5 योजना डिजाइन में संस्थाओं के लिए विभिन्न परिभाषाएं अनुबंध 1 में दी गई हैं।

3. रेफरल बोनस के लिए पात्रता मानदंड

3.1 रेफरल संबंध स्थापित करने के लिए मानदंड -

- क. रेफरी को किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता के साथ पहले वित्तीय सफल लेन-देन करने की आवश्यकता है।
- ख. रेफरी को प्रथम वित्तीय लेनदेन करने के समय रेफरल कोड के रूप में रेफरल के कोड के रूप में रेफरर का 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर (भीम एप्प पर पहले से पंजीकृत और सक्रिय है) प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ग. यदि लेनदेन करने के समय रेफरल कोड दर्ज करने में रेफरी विफल हो जाता है, तो रेफरल संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा और इसे बोनस राशि प्राप्त करने के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

3.2 रेफरल बोनस राशि कमाने के लिए अर्हता -

- क. रेफरी (जिसने सफलतापूर्वक एक रेफरल कोड दर्ज किया है) को भीम एप्प का उपयोग करके योजना अवधि के दौरान 3 विशिष्ट उपयोगकर्ताओं (किसी भी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता - "मान्य रिसीवर") के साथ न्यूनतम 3 सफल वित्तीय लेनदेन को पूरा करना होगा।
- ख. रेफरी और रेफरर को भीम एप्प उपयोगकर्ता होना चाहिए।
- ग. कुल लेनदेन मूल्य 50 रुपए के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
- घ. रेफरर किसी ऐसे विशिष्ट उपयोगकर्ता का एक हिस्सा हो सकता है, जो धन प्राप्त कर रहा है।
- ङ. न्यूनतम लेन-देन का मूल्य 1 रुपए होना चाहिए।

3.3 अन्य प्रासंगिक मानदंड:

- क. योजना के लिए केवल भीम एप्प एप्प या *99# से किए गए मान्य अनुमोदित लेनदेनों पर ही विचार किया जाएगा।
- ख. "रेफरर" और "पहली बार के उपयोगकर्ता" को लेनदेन करने के लिए भीम एप्प एप्प या *99 # का उपयोग करना चाहिए।
- ग. किसी भी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता/व्यापारी (दुकानदार) के साथ "भेजें" और "अनुरोध" लेनदेन दोनों को वैध लेनदेन के रूप में माना जाएगा।
- घ. लेन-देन का मूल्य 1 रु. से 10,000 रु. (और को शामिल करते हुए) के बीच होना चाहिए।
- ङ. अधिकतम रेफरल राशि जो एक रेफरर कमा सकता है, वह प्रति माह 25,000 रुपए है।
- च. "विशिष्ट भीम एप्प उपयोगकर्ता": एक उपयोगकर्ता को विशिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में केवल तभी वर्गीकृत किया जाएगा, अगर उसका मोबाइल नंबर, बैंक खाता किसी अन्य भीम एप्प उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट हैं। नीचे दी गई तालिका में सभी मामलों दर्शाए गए हैं, लेकिन यह विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए सीमित नहीं है। एनपीसीआई यह तय करेगा कि ग्राहक एक विशिष्ट उपयोगकर्ता है या नहीं।

| मोबाइल सं. | बैंक खाता | श्रेणी |
|------------|-----------|------------------|
| विशिष्ट | विशिष्ट | नया प्रयोक्ता |
| विशिष्ट | वही | मौजूदा प्रयोक्ता |
| वही | विशिष्ट | मौजूदा प्रयोक्ता |
| वही | वही | मौजूदा प्रयोक्ता |

कैशबैंक प्राप्त करने की प्रक्रिया और रेफरी और रेफरर के रिश्ते के संबंध स्थापित करने के लिए विस्तृत तंत्र अनुबंध 2 में वर्णित किए अनुसार हैं

राजीव बंसल, संयुक्त सचिव

अनुबंध 1

लोगों के लिए रेफरल बोनस योजना के लिए शब्दों/निकायों की परिभाषाएं

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रमुख शब्दों/निकायों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

- क. "रेफरर": का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति (भीम एप्प का मौजूदा उपयोगकर्ता) से अभिप्रेत है, जो कि भीम एप्प को किसी नए उपयोगकर्ता को संदर्भित करता है – उसे भीम एप्प उपयोगकर्ता होना चाहिए।
- ख. "रेफरी"/"नया प्रयोगकर्ता": का अर्थ भीम एप्प का पहली बार उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता से अभिप्रेत है – जिसे भीम एप्प उपयोगकर्ता होना चाहिए।
- ग. "रेफरल कोड": का अर्थ रेफरर के मोबाइल नंबर से अभिप्रेत है।
- घ. "वैध वित्तीय लेन-देनों": का अर्थ भीम एप्प का उपयोग कर किसी बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में 1 रुपए से अधिक या उसके बराबर और 10,000 रुपए से कम या उसके बराबर की धनराशि के हस्तांतरण से अभिप्रेत है।
- ङ. "वैध रेफरल मोबाइल नंबर" का अर्थ भारत में जारी किए गए रेफरर के 10 अंकों के मोबाइल नंबर से अभिप्रेत है, जो पहले से ही एक मौजूदा भीम एप्प उपयोगकर्ता है और जिसने कम से कम एक सफल लेनदेन किया है।
- च. "वैध रिसीवर" – का अर्थ भीम एप्प उपयोगकर्ता/व्यापारी (दुकानदार) सहित यूपीआई के किसी वैध उपयोगकर्ता या व्यापारी से अभिप्रेत है।

अनुबंध-2

रेफरी और रेफरर संबंध स्थापित करने और कैशबैंक का लाभ उठाने के लिए तंत्र

योजना निम्नानुसार आगे बढ़ेगी :

- क. भीम एप्प अनुप्रयोग को किसी नए उपयोगकर्ता (रेफरी) को संदर्भित करने के लिए मौजूदा भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरर)।
- ख. नया भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरी) भीम एप्प एप्प का अभिगम शुरू करता है या बैंक में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर से *99# डायल करके और भीम एप्प पर पूर्ण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कर अर्थात बैंक खाते की डाउनलोडिंग, पंजीकरण और प्राप्त कर शुरू करता है।
- ग. नया भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरर) किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता के साथ अपना पहला पात्र वित्तीय लेन-देन पूरा करता है।
- घ. रेफरर और रेफरी के बीच रेफरल संबंध स्थापित करने के लिए -

- i. रेफरी को किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता (भीम एप्प सहित किसी भी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता के लिए - "मान्य रिसीवर") के साथ प्रथम वित्तीय लेनदेन करने के समय रेफरल कोड के रूप में रेफरर का 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर (रेफरल कोड) दर्ज करने की आवश्यकता है।
 - ii. रेफरल कोड क्षेत्र (एक विकल्प के रूप में) लेनदेन पेज पर दिखाई देगा और केवल नए भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरी) को अपना पहला वित्तीय लेनदेन करते समय दिखाई देगा।
 - iii. *99# के मामले में, रेफरी ऑन-बोर्डिंग के समय रेफरल कोड (विकल्प के रूप में) दर्ज करने का विकल्प चुनेगा।
 - iv. प्रणाली यह सत्यापित करेगी कि क्या रेफरर का मोबाइल नंबर वैध रूप से भीम एप्प पंजीकृत है।
- ड. किसी भी 3 विशिष्ट उपयोगकर्ताओं (या तो पी2पी या पी2एम) के साथ कुल 50 रुपए के कम से कम 3 विशिष्ट सफल लेनदेन के पूरा होने पर रेफरर और रेफरी को भीम एप्प एप्प में अधिसूचना के माध्यम से बोनस राशि के बारे में सूचित किया जाएगा। इस संदर्भ में रेफरर और रेफरी को भीम एप्प उपयोगकर्ता होना चाहिए, तथापि, वह किसी भी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता/व्यापारी के साथ वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं।
- च. पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद रेफरर और रेफरी के बैंक खातों में बोनस की राशि जमा की जाएगी।

NOTIFICATION

New Delhi , the 5th June, 2017

Subject: BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Bonus Scheme for Individuals.

No.12 (84)/2017-DPD 1. Background and Objective

- 1.1 The Digital India Programme envisions transforming India into a Digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of a digital payments ecosystem is a natural extension of the Digital India programme and has the potential to transform India's economy by formalization of financial transactions.
- 1.2 Financial inclusion is one of the foremost challenges for India Digital payments promises access to formal financial services and benefits from e-commerce, especially for those who continue to be excluded. Despite significant progress in bank-led payment systems, there remains a vast gap in the availability of basic payment services. Adoption of technology can transform the country into a cashless economy.
- 1.3 Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced "a target of 2,500 crore digital transaction for 2017-18 through UPI, USSD, Aadhaar Pay, IMPS and debit cards."
- 1.4 In the promotion of digital payments, referral schemes are widely used to promote adoption of a new facility that is launched in the market, including mobile applications, and have proved effective. Hence, to promote BHIM amongst citizens a Referral Bonus scheme is being launched.
- 1.5 The scheme is intended to incentivize an existing user of BHIM to bring new users on the BHIM platform and encourage the new user to do transaction using BHIM with other users or by referring new users on BHIM. The objectives of the scheme are twofold, viz.:
 - Increase number of users downloading/installing and registering for BHIM;
 - Increase in number of transaction via BHIM

2. Referral Bonus Scheme for Individuals

- 2.1 The scheme scope is only for BHIM users. As of now, the scheme duration is 6 months from the launch date of the scheme, and can be renewed based on government directions.
- 2.2 National Payments Corporation of India (NPCI) takes the role of implementing agency since the BHIM platform is owned and operated by NPCI. NPCI uses its transaction data to identify the eligibility and compute the cashback.
- 2.3 The bonus will be paid to both the referrer and the new user of BHIM (referee) and the referral will be considered successful only after 3 successful financial transactions (to any valid UPI user – “valid receiver”) performed by the referee.
- 2.4 The referral bonus will be paid as per the following pattern:

| Referral Bonus Cashback amount | Total Amount (in Rs.) per BHIM user |
|--|-------------------------------------|
| - New BHIM user (Referee) (per person) | 25 |
| - Referrer (per person) | 10 |
| Total referral bonus amount | 35 |

- 2.5 The various definitions for the entities in the scheme design are appended in **Annexure-1**.

3. Eligibility Criteria for referral bonus

- 3.1 Criteria for establishing Referral relationship –
- Referee needs to do first financial successful transaction with the any unique user.
 - Referee needs to provide the 10 digit mobile number (already registered and active on BHIM) of the referrer as referral code at the time of doing the first financial transaction.
 - In case, referee fails to enter the referral code at the time of doing the transaction, the referral relationship will not be established and it will not be considered as part of receiving bonus amount.
- 3.2 Qualification to earn Referral bonus amount –
- Referee (who successfully entered a referral code) has to complete minimum 3 successful financial transactions to 3 unique users (to any valid UPI user – “valid receiver”) during the scheme period using BHIM app.
 - The referee and referrer has to be BHIM User.
 - The total transactions value should be equal to or more than Rs. 50/.
 - Referrer can be a part of the unique user who is receiving the funds.
 - The minimum transaction value should be Rs.1/-.
- 3.3 Other relevant criteria:
- Only valid approved transactions from BHIM app or *99# will be considered for the scheme.
 - The “referrer” and the “first time user” should use the BHIM app or *99# to make transactions.
 - Both “send” and “request” transactions with any valid UPI user / merchant will be considered as valid transactions.
 - Value of transactions should be between (and including) Rs. 1 to Rs. 10,000.
 - The maximum referral amount that a referrer can earn is Rs 25,000 per month.

- f. “Unique BHIM users”: A user will be categorized as unique user only if his/her mobile no. bank account are unique to any other BHIM user. Below table showcases all the cases but not limited for identification of unique users. NPCI will determine whether the customer is a unique user.

| Mobile No. | Bank Account | Category |
|------------|--------------|---------------|
| Unique | Unique | New User |
| Unique | Same | Existing User |
| Same | Unique | Existing User |
| Same | Same | Existing User |

The process for availing cashback and detailed mechanism for establishing a referee and referrer relationship are as detailed in **Annexure-2**.

RAJIV BANSAL, Jt. Secy.

Annexure-1

Definitions of terms/entities for the Referral Bonus scheme for individuals

The definitions of key terms/entities as specified in the notification are as below:

- “Referrer”: means a person (existing user of BHIM) who refers BHIM to a new user – Has to be BHIM user.
- “Referee”/ “New User”: means a first time user of BHIM – Has to be BHIM user.
- “Referral code”: means the mobile number of the referrer.
- “Valid financial transactions”: Money transfer from one bank account to another bank account of amount greater than or equal to Rs. 1 and less than or equal to Rs 10,000 using BHIM.
- “Valid Referral Mobile Number” 10 digit mobile number of referrer issued in India who is already an existing BHIM user and have performed at least one successful transaction.
- “Valid Receiver” – Can be any UPI valid user or a merchant including BHIM user/merchant.

Annexure-2

Mechanism for establishing a referee and referrer relationship and availing cashback

The Scheme will proceed as follows:

- An existing BHIM user (Referrer) to refer BHIM application to new user (Referee).
- New BHIM user (Referee) initiates access to BHIM app or by dialing *99# from his/her mobile number registered with bank and complete on-boarding process on BHIM i.e. downloading, registering and fetching the bank account.
- New BHIM user (Referee) completes his/her first eligible financial transaction with any unique user.
- To establish the referral relationship between referrer and referee –
 - Referee needs to enter the referral code (mobile number) of the referrer at the time doing the first financial transaction with any unique user (to any valid UPI user including BHIM – “valid receiver”).

- ii. The referral code field (as an option) will appear on the transaction page and will be visible only to the new BHIM user (referee) at the time of their first financial transaction process.
 - iii. In case of *99#, the referee will choose the option of entering the referral code (as an option) at the time of on-boarding.
 - iv. System shall validate that if the referrer mobile number is valid BHIM registered.
- e. On completion of minimum 3 unique successful transactions totaling to Rs. 50 to any 3 unique users (either P2P or P2M), the referrer and the referee will be notified about the bonus amount via notification in BHIM app. In this, the referrer and referee has to be BHIM user, however he can perform financial transaction with any valid UPI user / merchant.
- f. The bonus will be credited to the bank accounts of the referrer and the referee after meeting the eligibility criteria.